सर्वोच्च प्राथमिकता/तत्काल

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 202 /प0–2/3–डी–64/श0चा0/चारा /2014–15 दिनांकः 16-02-2015

विषयः प्रदेश के पशुपालको को शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन वितरण की योजना (50 प्रतिशत के0पो0)।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 741/प0–2/3–डी–64/श0चा0/चारा/2014–15 दिनांक 16.09.14 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के संबंध में कहना है कि **प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कम से कम 10 पशुपालक** चयनित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत योजना को संचालित किये जाने हेतु **पूर्व प्रेषित प्रारूप में आवश्यक संशोधन करते हुये** पशुपालकों का चयन निम्नानुसार कर तत्काल इस कार्यालय को सूचना सीडी सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि योजना से सम्बन्धित आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पशुपालकों को अधिकतम रू0 10,000.00 हजार या 50 प्रतिशत जो भी कम होगी, भारत सरकार द्वारा दी जायेगी तथा शेष धनराशि स्वयं पशुपालकों द्वारा वहन किया जायेगा। यह मशीन उसी पशुपालक को दी जायेगी जिसके पास 10 पशु उपलब्ध हो।

क्र0 सं0	पशुपालक का नाम व पिता का नाम	श्रेणी	पता का सम्पूर्ण विवरण	पशुओं की संख्या		योग	मोबाइल नम्बर	धनराशि हेतु बैंक का विवरण		
				बड़े पशु	छोटे पशु			खाता संख्या	आई0एफ0 एस0सी0 कोड	बैंक का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

उपरोक्त सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय
(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

संख्याः /प0–2/3–डी–64/श0चा0/चारा /2014–15 दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त अपर निदेशक(मण्डल) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
2–प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

Hand chaffcutter yojana-12